(प्रपत्र–13(b)

Justification of Land

इस सडक मार्ग निर्माण होने से स्थाई/अस्थाई रोजगार उत्पन्न होगा। ग्रामीण अपनी दैनिक जरूरतों का सामान आदि लेने नजदीक के बाजार में आ जा सकेगें। इस सडक मार्ग से लगभाग 1000 जनसंख्या संयोजित हो रही है। ग्रामीण खेतों में पैदा होने वाली उपज को किसी भी नजदीकी बाजार में ले जाकर बेच सकेगें एंव इससे देश की उत्पादकता में बढोत्तरी होगी जिससे ग्रामीणों की आय बढेगी। इस सडक के निर्माण से उत्तराखण्ड के इस भाग में भी पर्यटन के अवसर पैदा होगें जिससे स्थानीय निवासियों एंव सरकार की आमदनी होगी। इस गांव में यातायात की सुविधा न होने के कारण एंव सडक न होने से बच्चें स्कूल न जाकर खेती–बाडी के कामों में लग जाते है। लेकिन सडक मार्ग बनने स्थानीय बच्चे स्कूल पढने के लिए अन्य स्थानों पर जा सकेगे। जिससे देश में निर्माण में भागीदारी निश्चित कर सके एंव शिक्षा के स्तर में बढोत्तरी होगी। इस सडक मार्ग के बनने से ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। जिससे एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। सडक मार्ग निर्माण से घर पर कार्य करने वाली गृहणी भी अपने घर का आवश्यक सामान आदि आसानी से उपलब्ध कराने में सक्षम होगी।

इस सडक मार्ग के निर्माण से वन विभाग अकसर आग लगने पर कम समय में आग पर काबू पा सकेगें एंव यह मार्ग एक फायर लाइन का काम भी करेगी। सडक मार्ग के निर्माण से वन विभाग अपनी वन सम्पदा की देख–रेख भी आसानी से कर सकेगा। यह एकमात्र समरेखण कम लम्बाई का है जिससे ग्राम घोरे की डांडी जिनकी जनसख्या को जोडा जा सकेगा तथा इस सडक मार्ग से पिछडे गांव के लोगों को देश की मुख्यधारा में लाया जा सकेगा। अतः इस सडक के निर्माण की अत्यन्त आवश्यकता है जिसके लिये वन भूमि हस्तान्तण की आवश्यकता होगी।

कनिष्ठ अभियन्ता
नि0ख0, लो0नि0वि0
देहरादून

सहायक अभियन्ता
नि0ख0, लो0नि0वि0
देहरादून

अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0, लो0नि0वि0
देहरादून

M. S.
वन क्षेत्राधिकारी
कोल्टा रेंज

उप–प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी
उपप्रभागीय वनाधिकारी
सहसपुर उपवन प्रभाग
कालसी (देहरादून)

प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी वन प्रभाग
प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी भूमि वन प्रभाग
कालसी